आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–25/2023	
16.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। इस वाद की ऑडियो कॉल से हुई सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता का कहना है कि आयोग में शिकायत दर्ज करने के बाद उन्हें माह अक्टूबर एवं नवंबर का राशन उन्हें मिल गया है। किन्तु माह दिसम्बर, 2022 का राशन नहीं मिला है। जिले के SDO जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभार में हैं, उनका कहना है कि वे विधि व्यवस्था में Duty के कारण फाईल नहीं देख पाए हैं। आयोग ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अभिलेख का अवलोकन कर यह देखें कि शिकायतकर्ता सहित अन्य लोगों को माह दिसम्बर, 2022 का राशन उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं। यदि उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो उन्हें राशन उपलब्ध कराएँ एवं उसका प्रमाण आयोग को भेजा जाय। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–30.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.05.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx67	